



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-243184
CG-DL-E-24012023-243184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]
No. 373]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

का. आ. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 01 फरवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उप-धारा (2) से उप-धारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83

महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, भंडारा, वाशिम, गडचिरोली और बीड जिलों के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिलों में पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, और लातूर, उस्मानाबाद और परभणी जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/03/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2023

S.O. 387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Sindhudurg, Ratnagiri, Bhandara, Washim, Gadchiroli and Beed districts, in addition to the already notified areas of the said districts, and in all the areas of Latur, Osmanabad and Parbhani districts, in the State of Maharashtra.

[F. No. S-38013/03/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser